राजस्व अपील संख्या 398/2022

अनवान

लालूराम बनाम राज्य

दिनांक 06–09–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र............/2018 अनवान राजस्थान सरकार बनाम खींयाराम वगैराह में पारित आदेश दिनांक 25.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र.......... /2018 अनवान राजस्थान सरकार बनाम खींयाराम वगैराह पारित आदेश दिनांक 25.06.2018 के कम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार ओसियॉ को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका जॉच कर प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर